

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000122012

व्यवहार वाद क्र.-01ए/16

संस्थापित दिनांक-22.09.12

1.अब्दुल अलीम पुत्र करीम वक्स आयु 38 वर्ष वारिसान:- 1ए.शाहिस्ता पत्नी अब्दुल अलीम आयु 35 वर्ष 1ब.फिजा पुत्री अब्दुल अलीम आयु 13 वर्ष 1स.फरजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 11 वर्ष 1द.फैजान पुत्र अब्दुल अलीम आयु 10 वर्ष नावालिग सरपरस्त माता शाहिस्ता निवासीगण मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 2.मोहम्मद वशीम पुत्र करीम वक्स आयु 30 वर्ष 3.मोहम्मद सलीम पुत्र करीम वक्स आयु 35 वर्ष सभी का व्यवसाय साडी बुनाई निवासीगण मोहल्ला बाहर शहर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	वादीगण
विरुद्ध	
1.मोहम्मद रहीम पुत्र करीम वक्स आयु 50 वर्ष 2.मोहम्मद पसीर पुत्र करीम वक्स आयु 48 वर्ष 3.अब्दुल रशीद पुत्र करीम वक्स आयु 52 वर्ष सभी का व्यवसाय साडी बुनाई सभी निवासीगण मोहल्ला बाहर शहर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 4.मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका, चंदेरी 5.अब्दुल वकील पुत्र मोहम्मदी वारिसान:-	

5अ—मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल वकील
5ब—जहीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील
5स—लईक मोहम्मद पुत्र अब्दुल वकील निवासीगण मोटामल गली बाहर शहर चंदेरी
5द—आविदा वानो पत्नी फईम मोहम्मद निवासी पसियापुरा चंदेरी
5इ—खालिदा वानो पत्नी नसीम मोहम्मद निवासी चौखंडी मोहल्ला बाहर शहर चंदेरी
5फ—शहजादी पत्नी अब्दुल वकील निवासी मोटामल गली बाहर शहर, चंदेरी
6.सगीर अहमद पुत्र अलावक्स
7.अनीस पुत्र अलावक्स
8.हफीजन वी पत्नी अलावक्स सभी निवासीगण वार्ड क्र. 17 मोहल्ला बाहर शहर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वारिसान:—
8अ— वानो पत्नी अलीम निवासी हाटकापुरा, चंदेरी
8ब—हनीफा पत्नी शकील निवासी लाल वावडी के पास चंदेरी
8स—फरीदा पत्नी आसिफ हुसैन निवासी कलारी मोहल्ला बाहर शहर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण
वादीगण द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्र.6 द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
शेष प्रतिवादीगण द्वारा श्री जाफरी अधिवक्ता ।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 23.11.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्वा चंदेरी मोहल्ला बाहर शहर वार्ड क.17 मोटामल की गली स्थित मकान क.2 (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) में स्वत्व घोषणा कब्जा वापसी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित संपत्ति करीम वक्श पुत्र अब्दुल बाहिद के स्वत्व की भूमि है वादीगण के अनुसार करीम वक्श की देखभाल वादीगण करते थे जिससे प्रसन्न होकर उक्त विवादित संपत्ति को करीम वक्श ने वादीगण को हिवा कर दिया है। वादीगण के अनुसार करीम वक्श द्वारा हिवानामा लिखाया गया था जिसपर वादीगण ने हस्ताक्षर किये थे। वादीगण के अनुसार करीम वक्श ने उक्त विवादित संपत्ति का कुछ भाग प्रतिवादीगण को रहने के लिए दिया था तथा प्रतिवादीगण करीम वक्श की सेवा नहीं करते थे जिस कारण करीम वक्श ने उक्त विवादित संपत्ति प्रतिवादीगण से खाली कराने के लिए दावा प्रस्तुत किया था। वादीगण के अनुसार उन्होंने प्रतिवादीगण को उक्त विवादित संपत्ति खाली करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया जिस कारणवश उन्हें यह दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने निवेदन किया है कि उनका वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि उन्हें उक्त विवादित मकान का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जाए तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे उक्त विवादित मकान को रिक्त कर कब्जा वादीगण को प्रदान करें तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार

वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित संपत्ति मुसलिम परिवार की अविभाजित संपत्ति है जिसका हिवा करने का अधिकार करीम वक्श को नहीं था। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण को उक्त विवादित भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते क्योंकि उक्त विवादित संपत्ति अब्दुल वकील के पिता की पुस्तैनी संपत्ति है जिसमें करीम वक्श का कोई हित नहीं था। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण कस्बा चंदेरी के मोहल्ला बाहर शहर वार्ड क.17 की मोटामल की गली में स्थित मकान क. 2 में करीम वक्श द्वारा सरयत के अनुसार वादीगण को दान करने से वादीगण करीम वक्श के हिस्से के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है ?	नहीं ।
02.	क्या वादग्रस्त मकान से प्रतिवादी क.1 लगायत 3 का कब्जा वादीगण पृथक कराने के अधिकारी है ?	नहीं ।
03.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भवन भूमि पर अवैधरूप से हस्तक्षेप किया है ?	नहीं ।
04.	क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	नहीं ।
05.	क्या करीम वक्श को वादग्रस्त भवन का दान करने का अधिकार था ?	नहीं ।

06.	क्या वादीगण ने आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किया है ?	हां।
07.	क्या वादीगण ने दावे का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क चरप्पा की है ?	हां।
08.	क्या वादीगण ने दावा परिसीमा अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत किया है ?	हां
09.	क्या वादीगण का दावा प्राणन्याय के सिद्धांत के कारण निरस्ती किये जाने योग्य है ?	नहीं।
10.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 अब्दुल अलीम, वा.सा. 2 मोहम्मद सलीम, वा.सा.3 बी एम खरे, वा.सा.4 नवीनचंद्र कुलैया एवं वा.सा.5 नौसाद की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी020 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 अब्दुल रसीद, प्र.सा.2 शरीफ अहमद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 लगायत प्र0डी012 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 06 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद

प्रश्न क्रमांक 07,08,09 एवं 10 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 06 ::—

08. वा.सा. 01 अब्दुल अलीम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि अब्दुल वाहिद के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार करीम वक्श ने उक्त विवादित भूमि का हिवानामा किया था तथा उक्त विवादित संपत्ति के कुछ हिस्से को अपने लडकों रहीश, नसीर तथा रसीद को दिया था जिस पर वे लोग जबरन कब्जा बनाए हुए है। उक्त साक्षी के अनुसार करीम वक्श ने उन पर धारा 125 के अंतर्गत दावा किया था तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसे याद नहीं है कि उक्त विवादित मकान पूर्व में करोडी के नाम था या नहीं। वा.सा.2 मोहम्मद सलीम ने भी वा.सा.1 के अनुसार मुख्य परीक्षण में कथन किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उक्त भवन पूर्व में नगरपालिका रिकार्ड में मोहम्मदी के नाम दर्ज था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता के नामांतरण के विरुद्ध अब्दुल रकीव ने कलेक्टर महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी।

09. वा.सा.3 बी एन खरे द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि उनके द्वारा पांच वर्ष पूर्व हिवानामा लिखा गया था। उक्त साक्षी के अनुसार करीम वक्श ने हिवानामा लिखा था। वा.सा.3 के अनुसार उसने प्र0पी01 के हिवानामा पर करीम वक्श का अगूठा अटैस्थ किया है। उक्त साक्षी के अनुसार हिवानामा पर उसकी कोई सील नहीं लगी है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित संपत्ति का संपूर्ण करीम वक्श के नाम नहीं था तथा प्र0पी05 एवं प्र0पी06 में करीम वक्श का नामांतरण मोहम्मदी पुत्र कडोरे के नाम पर हुआ था। वा.सा.4 नवीन चंद कुलैया द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 30.06.12 को हिवानामा का सत्यापन किया गया था तथा

उनके नोटरी रजिस्टर पर अगूँठा लगाया गया था। उक्त साक्षी ने प्र0पी01 के सी से सी एवं डी से डी भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिवानामा के दस्तावेज उसने पूरा नहीं पडा था। वा. सा.5 नौसाद ने अपने कथन में बताया है कि हिवानामा के गवाह रफीक को वह जानता है जिसकी मृत्यु हो गई है। उक्त साक्षी के अनुसार रफीक उसका भाई है तथा प्र0पी01 के हिवानामें के ए से ए भाग पर उसने अपने भाई के हस्ताक्षर होना बताया है।

10. वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्र0पी01 के हिवानामे की कार्यवाही हुई थी तथा प्र0पी01 का हिवानामा निष्पादित हुआ था। वा.सा.3 लगायत वा.सा.5 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि दिनांक 30.06.12 को प्र0पी01 का हिवानामा की कार्यवाही हुई थी। वा.सा.1 एवं वा.सा.2 ने जो मौखिक साक्ष्य दी है उसमें उन्होंने उक्त विवादित संपत्ति के अंश को उनके स्वत्व का होना हिवानामा के आधार पर होना बताया है। उल्लेखनीय है कि मात्र हिवानामा के निष्पादन की कार्यवाही के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि वादीगण उक्त विवादित संपत्ति के अंश के स्वत्वाधिकारी है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से वादी को यह प्रमाणित करना है कि करीम वक्श को उक्त विवादित संपत्ति के हिवा करने का अधिकार था तथा जितने अंश का वह स्वत्वाधिकारी था उतने संपूर्ण अंश का मुस्लिम विधि के अनुसार उसे हिवा करने का अधिकार था। उक्त तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही प्रमाणित हो सकता है। जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रश्न है प्र.सा.1 एवं प्र.सा.2 ने कथन किया है कि उक्त विवादित संपत्ति पर करीम वक्श का कोई स्वत्व नहीं था। प्र. सा.1 के अनुसार उक्त विवादित संपत्ति का मात्र वादीगण हित नहीं है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी का हित निहित है। प्र.सा.2 के अनुसार उक्त विवादित संपत्ति में करीम वक्श का कोई हिस्सा नहीं है और इस प्रकार वादीगण

का कोई हित नहीं है। प्र.सा.2 के अनुसार करीम वक्श ने गलतरूप से अपना नामांतरण करवाया था। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के माध्यम से वादीगण के अभिवचनों को गलत बताया है तथा कथन किया है कि वादीगण का उक्त विवादित संपत्ति में हित नहीं है।

11. वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। उनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्र0पी01 का हिवानामा करीम वक्श द्वारा निष्पादित किया गया था। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर प्र0डी01 का हिवानामा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें करीम वक्श द्वारा विवादित संपत्ति हिवा की गई है। वादी की ओर से प्र0पी05 की विज्ञप्ति तथा प्र0पी06 नगरपालिका का पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त विवादित संपत्ति में करीम वक्श का नामांतरण स्वीकार किया गया है। प्र0पी07 एवं प्र0पी08 से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त नामांतरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त जो अन्य दस्तावेज जो अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं वे स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने उक्त विवादित भूमि करीम वक्श की होना बताया है किंतु वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त विवादित भूमि करीम वक्श के नाम कैसे आई। वादीगण पर यह भार है कि वह यह प्रमाणित करे कि उक्त विवादित भूमि करीम वक्श की स्वत्व की भूमि है जिसमें उनका हित है। वादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर करीम वक्श के पक्ष में नामांतरण होने संबंधी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं किंतु वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि प्रमाणित हो सके कि करीम वक्श को उक्त विवादित भूमि किस आधार पर प्राप्त है। मात्र नगरपालिका के दस्तावेजों पर नामांतरण हो जाने के आधार पर करीम वक्श को उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी नहीं माना जा सकता और ऐसी दशा में जबकि उक्त विवादित भूमि पर करीम वक्श का स्वत्व प्रमाणित नहीं हो रहा है। स्वतः ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि करीम वक्श का उक्त विवादित भूमि

का हिवानामा करने का अधिकार नहीं था।

12. वादीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि करीम वक्श की कुल कितनी संपत्ति थी। यदि हिवानामा प्र0पी01 को ही आधार माना जाए तो ऐसी दशा में ऐसा प्रकट होता है कि करीम वक्श का उक्त विवादित संपत्ति में ही हित था जिसका उनके द्वारा हिवा किया गया यदि यह मान भी लिया जाए कि करीम वक्श का उक्त विवादित संपत्ति में हित था तो भी ऐसी दशा में यह देखना आवश्यक है कि क्या करीम वक्श को उक्त संपत्ति को हिवा करने का अधिकार था। इस संबंध में मुशिलम विधि का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके अंतर्गत मृत्यु शैया के समय किया गया हिवा, दान के सभी आवश्यक घटकों की पूर्ती के पश्चात ही सही हिवा माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि मृत्यु के समय बीमारी से पीड़ित होने के कारण किये गये हिवा में कोई भी मुशिलम व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति की एक तिहाई से अधिक संपत्ति का हिवा नहीं कर सकता तथा यह भी आवश्यक है कि अन्य उत्तराधिकारी हिवा के लिए सहमति दें। प्रस्तुत प्रकरण में करीम वक्श द्वारा जो हिवा किया गया है वह संपूर्ण संपत्ति से संबंधित है जबकि करीम वक्श उक्त संपूर्ण संपत्ति के एक तिहाई से अधिक संपत्ति का हिवा करने से वर्जित था। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त हिवा के संबंध में अन्य उत्तराधिकारीगण ने अपनी कोई सहमति नहीं दी है। इस प्रकार प्र0पी01 का हिवानामा विधि अनुसार वैध नहीं है।

13. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण उक्त विवादित संपत्ति के स्वत्वाधिकारी नहीं है जिसके फलस्वरूप वादीगण उक्त विवादित संपत्ति का पृथक कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह निष्कर्ष भी दिया जाता है कि करीम वक्श को विवादित भवन का दान करने का अधिकार नहीं था। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह

निष्कर्ष दिया जा सके कि वादीगण ने आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरा में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि वादीगण ने आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं, तथा वाद प्रश्न क्र.06 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र.-7 ::—

14. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद का सही मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वादप्रश्न क्र.07 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र.-08 ::—

15. वादीगण के अनुसार दिनांक 30.06.12 को करीम वक्श द्वारा हिवा करने एवं दिनांक 05.09.12 को प्रतिवादीगण द्वारा मकान को खाली करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादकारण दिनांक वादपत्र में उल्लेखित दिनांक से भिन्न है। वादपत्र में उल्लेखित वादकारण दिनांक से वादीगण ने परिसीमा समय के भीतर ही अपना वाद प्रस्तुत किया है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 08 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र.-09 ::—

16. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्र0डी04 एवं प्र0डी09 के वादपत्र को

अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनो दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में भी व्यवहार प्रकरण चले है किंतु उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत प्रकरण के सभी पक्षकार समान नहीं है और साथ ही उनमे अन्य पक्षकार भी रहे है। उन प्रकरणों मे चाहा गया अनुतोष भी प्रस्तुत प्रकरण मे चाहे गये अनुतोष से भिन्न है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत दिये गये प्राण न्याय के सिद्धांत से वाधित नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 09 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.—10 ::—

17. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

18. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर